## ।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।।

संख्या 1138 /सात–15 (2014–15), दिनांकः रुद्रप्रयाग,23, दिसम्बर, 2015

### राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी)के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु संशोधित विज्ञप्ति

राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए इस कार्यालय से जारी विज्ञप्ति संख्या–161/सात–15 (2014–15), दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या–650/सात–15 (2014–15), दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के क्रम राजस्व अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–1754/XVIII(1)/2015–03(3)/2014 T.C. –1, दिनांक 19.12.2015 द्वारा निर्गत निर्देशों के परिपालन में विज्ञपित दिनांक 10.10.2015 एवं 19.11.2015 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1– राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को **31–12–2015** तक बढ़ाया जाता है। आवेदन पत्र दिनांक–31.12.2015 की सांय 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से अथवा स्वयं भी आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक कक्ष सं0– 11 (भूलेख अधिष्ठान) जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग में जमा किये जा सकते हैं।

2– राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु शारीरिक दक्षता हेतु पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 किमी0 और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किमी0 दौड़ना आवश्यक है।

3– राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) के पर प्रशिक्षण हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि विकलांग कोटे में कोई भी पद आरक्षण हेतु चिंह्ति नहीं है।

4– अभ्यर्थी द्वारा संलग्न कोई भी प्रमाण पत्र यथा सेवायोजन में पंजीकरण पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र आदि आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि 31.12.2015 तक वैध होना चाहिए। अभ्यर्थी जिनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है तो उन आवेदको को सूचित किया जाता है कि दिनांक–31.12.2015 तक नवीनतम जाति प्रमाण पत्र बनवा लें तथा शारीरिक परीक्षा तिथि को अथवा उससे पूर्व कक्ष सं0– 11 (भूलेख अधिष्ठान) जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं।

5– आरक्षित श्रेणी का उल्लेख होने तथा तदनुसार शुल्क जमा किये जाने, किन्तु आरक्षण का प्रमाण–पत्र संलग्न न किये जाने पर शारीरिक दक्षता की तिथि को आरक्षण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

6– भूतपूर्व सैनिकों को सेना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (जो कि किसी भी विश्व विद्यालय/महाविद्यालय से जारी नहीं किया गया हो) मान्य तभी होंगे, जबकि उसकी मान्यता के सम्बन्ध में उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मानव संशाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या– के द्वारा इसे मान्य प्राप्त घोषित किया गया हो।

7– अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र यथा स्थान अग्रसारित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा दिया गया शपथ–पत्र मान्य नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये आवेदन–पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित किये जाने पर किन्तु अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न न किये जाने की दशा में शारीरिक परीक्षा की तिथि को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8– पूर्व में जिन अभ्यर्थियों द्वारा इस जनपद से राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद के लिए आवेदन किया है, उन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

9– आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा नियमावली में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी तथा आयु सीमा की गणना इस कार्यालय के मूल विज्ञापन सं0– 161/सात–15 (2014–15) दि0 10 अक्टूबर, 2015 में अंकित तिथि के अनुसार ही की जायेगी।

10– संशोधित विज्ञप्ति तथा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में कमियां पायी गयी है, जनपद रुद्रप्रयाग की वेबसाइट www.rudraprayag.nic.in पर भी उपलब्ध है तथा वांछित कमियों का उल्लेख अभ्यर्थी के शारीरिक परीक्षा के औपबंधित प्रवेश पत्र में भी किया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण से पूर्व कमियों का निराकरण करा लिया जायेगा, वे अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्ह होगें।

11– उक्त के अतिरिक्त पर्व विज्ञप्ति संख्या–161/सात–15 (2014–15), दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या–650/सात–15 (2014–15), दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के अन्तर्गत दी गयी शेष शर्ते यथावत रहेगी।

12– विस्तृत जानकारी हेतु जनपद रूद्रप्रयाग की वेवसाइट www.rudraprayag.nic.in पर लॉग ऑन करें।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

महत्वपूर्ण

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–1754/XVIII(1)/2015-03(3)/2014 T.C-1

प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादून: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2015

विषय–राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या–1381/XVIII(1)/2015-04/2007 दिनांक 24 सितम्बर, 2015 व पत्र संख्या–1522/XVIII(1)/2015-03(3)/2014 T.C-1 दिनांक 09 नवम्बर, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए जनपद स्तर पर चयन समिति, शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों के परीक्षण हेतु चयन समिति, लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, परीक्षा की समय–सारिणी, विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश तथा परीक्षा संचालन हेतु सामान्य एवं संशोधित निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– विभिन्न जनपदों से प्राप्त समस्याओं एवं मांगों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2015 व शासनादेश दिनांक 09 नवम्बर, 2015 द्वारा निर्गत निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन एवं निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु शारीरिक दक्षता हेतु पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 कि०मी० और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 कि०मी० दौड़ना आवश्यक है। तदनुसार सम्बन्धित नियमावलियों में संशोधन कर दिया गया है।
2. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2015 को बढ़ाकर दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 निर्धारित की गयी है, जिसके फलस्वरूप परीक्षा की समय–सारिणी निम्नानुसार पुनः निर्धारित की जाती है:–

| | |
|---|---|
| (i) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि | – 31.12.2015 |
| (ii) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा | – 01.01.2016 से 15.01.2016 तक |
| (iii) शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि | – 31.01.2016 |
| (iv) शारीरिक दक्षता परीक्षण | – 15.02.2016 से 15.03.2016 तक(एक माह) |
| (v) शारीरिक दक्षता के उपरान्त समस्त अभिलेख परीक्षा एजेन्सी को उपलब्ध कराये जाने की अन्तिम तिथि | – 05.04.2016 |
| (vi) लिखित परीक्षा की तिथि | – 22.05.2016 (रविवार) |
| (vii) उत्तर कुंजी का प्रकाशन | – 27.05.2016 से 03.06.2016 तक |
| (viii) आपत्तियां प्रस्तुत करने की तिथि | – 04.06.2016 से 19.06.2016 |
| (ix) आपत्तियों के निस्तारण की तिथि | – 04.07.2016 |

Scanned by CamScanner

14. आरक्षित श्रेणी का उल्लेख होने तथा तद्नुसार शुल्क जमा किये जाने, किन्तु आरक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने पर शारीरिक दक्षता की तिथि को आरक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर समिति द्वारा उक्त की पुष्टि की जायेगी। शारीरिक दक्षता के लिए अभ्यर्थी को औपबन्धिक प्रवेश की अनुमति दे दी जायेगी।

15. परीक्षा शुल्क से केवल परीक्षा के लेखन सामग्री एवं पोस्टेज चार्जेज तक ही सीमित रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य व्यय के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे। यदि कोई ऐसी तात्कालिक आवश्यकता हो तो प्रस्ताव शासन को अनुमति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

16. सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये आवेदन पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित किया गया है, किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है, तो शारीरिक दक्षता की तिथि को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय। यदि सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

17. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न कोई भी प्रमाण पत्र यथा सेवायोजन में पंजीकरण, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र आदि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

18. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की सूचना सन्निरीक्षा के पश्चात् ही कारण सहित आवेदक को सूचित किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र की ग्राहयता एवं निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई संशय हो तो सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद से दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या का निराकरण भी किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अपने जनपद के कुल रिक्त पदों की स्थिति तथा दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक, प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या की स्थिति से भी शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

<u>संख्या– /XVIII(1)/2015 एवं तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की, हरिद्वार।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव

Guard-Letter 2015-16

Scanned by CamScanner